

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/(डी-95/94)/अलेसे-II/2022-23 841-844

दिनांक:- 11-8-23

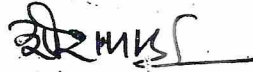
कार्यालय आदेश

श्री दामोदर लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II मेरिट नं. 95/94 कार्यालय कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर (हाल सेवानिवृत्त) से प्राप्त आवेदनानुसार श्री राकेश वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II मेरिट नं. 383/94 के प्रथम चयनित वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के पश्चात् उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी सेवापुस्तिका अनुसार प्राप्त वेतन, वेतनवृद्धि का तुलनात्मक विवरण निम्नप्रकार है:-

विवरण	नाम वरिष्ठ कार्मिक दामोदर लाल(95/1994)	नाम कनिष्ठ कार्मिक राकेश वर्मा (383/1994)
कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	19.02.1996	09.04.1996
दिनांक 01.09.1996 को वेतन (5000-8000)	5000/-रु.	5000/-रु.
आगामी वेतन वृद्धि तिथि एवं वेतन	01.09.1997 रु. 5150/-	21.01.1998 रु. 5150/- (142 दिवस असाधारण अवकाश के कारण)
आगामी वेतन वृद्धि तिथि एवं वेतन	01.09.1998 को 5300/-रु. 01.09.1999 को 5450/-रु. 01.09.2000 को 5600/-रु. 01.09.2001 को 5750/-रु. 01.09.2002 को 5900/-रु. 01.09.2003 को 6050/-रु. 01.09.2004 को 6200/-रु.	21.01.1999 को 5300/-रु. 21.01.2000 को 5450/-रु. 19.04.2001 को 5600/-रु. (89 दिवस के असाधारण अवकाश के कारण) 19.04.2002 को 5750/-रु. 19.04.2003 को 5900/-रु. 19.04.2004 को 6050/-रु.
प्रथम चयनित वेतनमान देयता तिथि	19.02.2005	09.04.2005
प्रथम चयनित वेतनमान वेतन निर्धारण (5500-9000)	6375/- दिनांक 19.02.2005	6375/-रु. दिनांक 09.04.2005
प्रथम चयनित वेतनमान पश्चात देय आगामी वेतन वृद्धि	01.09.2005	19.04.2005
श्री वर्मा को प्रथम चयनित वेतन मान पश्चात देय आगामी वेतन वृद्धि तिथि 19.04.2005 पर वेतन एवं प्रार्थी का प्राप्त वेतन	रु. 6375/- दिनांक 19.04.2005	रु. 6550/- दिनांक 19.04.2005

उक्त तुलनात्मक विवरणानुसार श्री राकेश वर्मा तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (कनिष्ठ कार्मिक) श्री दामोदर लाल तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (वरिष्ठ कार्मिक) से दिनांक 19.04.2005 को चयनित वेतनमान मंजूर करने के बाद आगामी वेतन वृद्धि पर अधिक वेतन प्राप्त करने लगे। उक्त विसंगति प्रत्यक्ष रूप से चयन वेतनमान मंजूर करने के कारण हुई है। जिसके फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन को कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर बढ़ाये जाने के संबंध में राजस्थान सेवा नियम के नियम 32 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभाग से जारी आदेश क्रमांक एफ.1(1)वित्त/ग्रुप-2/91-II दिनांक 02.04.1994 के अनुसरण में श्री दामोदर लाल (वरिष्ठ कार्मिक) का वेतन दिनांक 19.04.2005 से 6550/-रु0 श्री राकेश वर्मा (कनिष्ठ कार्मिक) के अनुरूप निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री दामोदर लाल की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 19.04.2006 अर्थात् एक वर्ष पश्चात् देय होगी।



(भुपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 11-8-23

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/(डी-95/94)/अलेसे-II/2022-23 841-844

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- कोषाधिकारी जोधपुर (शहर) जोधपुर पिन कोड 342002 को मूल सेवा पुस्तिका-01 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (रजिस्टर्ड)
- निजी सचिव निदेशक, महोदय।
- श्री दामोदर लाल, स.ले.अ. ग्रेड-II, कोषाधिकारी कोष कार्यालय जोधपुर (शहर) जोधपुर।
- निजी गार्ड फाईल।
- कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।

(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)